<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारी:— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 289/2022

कृष्ण कुमार आयु 48 वर्ष पुत्र स्व0 प्रभुदयाल उर्फ प्रभू, जाति अहीर, निवासी शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)।

---आवेदक

बनाम

1. सन्तरा देवी पत्नि स्व0 स्व0 प्रभुदयाल उर्फ प्रभू, जाति अहीर, निवासी शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)।
2. सरोज देवी पुत्री स्व0 प्रभुदयाल उर्फ प्रभू, जाति अहीर, निवासी शिमला हाल निवासी पटेलनगर बाईपास के पास, नानौल, जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी, जिला झुंझुनूं।
4. श्री जयसिंह, उपखण्ड अधिकारी, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

--- अनावेदकगण

— — —

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थानान्तरित किये जाने बमुकदमा उनवानी कृष्ण कुमार बनाम संतरा देवी वगैरह मुकदमा नम्बर 191/2021 दावा अधिकार घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी, आगामी पेशी 25.08.2022

— — —

उपस्थित:—

1. श्री राजेश बागोरिया, अभिभाषक— आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुभाषचन्द्र, अभिभाषक— अनावेदक सं0 1 लगायत 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अनावेदक सं0 3 व 4 की ओर से उपस्थित।

<u>आदेश</u>

दिनांक 16.11.2022

आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित प्रकार प्रस्तुत है कि आवेदक ने एक वाद अधिकार घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम ग्राम दूधवा, तहसील खेतडी स्थित खाता संख्या 811 के हाल ख0न0 835 रकबा 0.79 हैक्टर मे वादी के पिता का 3/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा तथा इस ग्राम के खाता संख्या 26 मे दर्ज ख0न0 838 रकबा 0.44 हैक्टर, ख0न0 839 रकबा 0.38 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.82 हैक्टर मे वादी के पिता का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। ग्राम कंकराय पटवारी हल्का मांदरी मे स्थित भूमि खाता संख्या 132 के खसरा नम्बर 437 रकबा 0.27 हैक्टर, ख0न0 438 रकबा 0.24 हैक्टर व ख0न0 439 रकबा 0.24 हैक्टर, ख0न0 442 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.98 हैक्टर मे वादी के पिता का [illegible] हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा ग्राम शिमला मे स्थित भूमि ख0न0 1816 रकबा 0.15 हैक्टर, ख0न0 19[illegible] रकबा 0.15 हैक्टर, ख0न0 1936 रकबा 0.15 हैक्टर व ख0न0 196 रकबा 0.11 हैक्टर, ख0न0 1965 रकबा [illegible] हैक्टर, ख0न0 1987 रका 0.41 हैक्टर, ख0न0 1988 रकबा 0.19 हैक्टर, ख0न0 1989 रकबा 0.17 हैक्टर, ख0न0 1990 रकबा 0.0[illegible] हैक्टर, ख0न0 1993 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0न0 2118 रकबा [illegible] हैक्टर, ख0न0 2131 रकबा 0.30 हैक्टर, ख0न0 2131 रकबा 0.30 हैक्टर, ख0न0 2315/1962 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 15 कुल रकबा 2.28 हैक्टर भूमि मे वादी के पिता का 1/15 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। आवेदक के पिता स्व0 प्रभुदयाल ने अपने जीवनकाल मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.23 16:14:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

वादी की सेवा से खुश होकर अपने ग्राम शिमला मे बनाये गये पुख्ता मकानात् तथा ग्राम दूधवा व कंकराय, तहसील खेतडी मे स्वअर्जित कृषि भूमि एवं अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत पूर्ण होश हवास मे दिनांक 114.06.2022 को 20/– रूपये स्टाम्प पेपर पर वादी के हक मे तहरीर व तकमील करवाकर गवाहान की उपस्थिति मे नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाई थी। इस प्रकार वादी को अपने पिता से वसीयत मे मिली सम्पत्ति पर काबिज काश्त व मकानात् मे रहवास कर रहा है। दिनांक 25.10.2021 को दावा रजिस्टर किया गया था तथा तामिल तलबी हेतु दिनांक 03.01.2022 पेशी नियत की गई थी तथा उसके बाद दिनांक 25.04.2022 को न्यायालय मे कार्य नही हुआ तथा दिनांक 25.04.2022 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 2 नियम 2 सी0पी0सी0 का पेश किया गया तथा प्रतिवादी नं0 3 की तलबी हेतु पेशी दिनांक 27.05.2022 नियत की गई। दिनांक 22.08.2022 को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी खेतडी तथा आवेदक व उसके अधिवक्ता को अवगत कराया कि उक्त वाद विड्रो कर लो वरना मजबूरन मुझे खारीज करना पडेगा तब आवेदक ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि साहब मामले का अन्तिम निस्तारण पक्षकारान् की साक्ष्य लेखबद्व करके निर्णय पारित करे परन्तु उपखण्ड अधिकारी खेतडी द्वारा कहा गया कि मुझ पर स्थानीय विधायक का जबाव है तथा मुझे मजबूरन उक्त प्रकरण मे शीघ्र सुनवाई कर खारीज करना पडेगा। पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर ही दिनांक 25.04.2022 को विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से बिना हस्ताक्षर पक्षकार के प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 2 नियम 2 सीपीसी का पेश हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर उपखण्ड अधिकारी खेतडी दावे का निस्तारण करने पर आमादा है तथा पत्रावली मे दिनांक 10.08.2022 के बाद जबाब हेतु 22.08.2022 पेशी नियत की है तथा उसके बाद सुनवाई हेतु दिनांक 25.08.2022 नियत की है। विपक्षी नं0 1 की ओर से आवेदक को न्यायालय परिसर खेतडी मे दिनांक 22.08.2022 को घमकी दी गई कि दिनांक 25.08.2022 को तुम्हारा दावा खारीज करवा देगें। उपखण्ड अधिकारी खेतडी से हमने बात कर रखी है तब प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से मिलकर अर्जेन्ट मे उक्त वाद एवं आदेशिका की प्रतिलिपि दिनांक 23.08.2022 को प्राप्त की। इसके बाद शीघ्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। विधि का सिद्वान्त है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए जिसमे एहसास हो कि पक्षकार के साथ न्याय किया जा रहा है। लेकिन अदालत मातहत विपक्षी नं0 4 स्थानीय विधायक के नाजायज दबाव मे होने के कारण आवेदक के साथ न्याय नही कर रहा है तथा विपक्षी नं0 4 के कन्डेन्ट के आधार पर यह प्रतीत हो रहा है कि पक्षकार के साथ न्याय नही हो रहा है। बल्कि बिना सुने ही पक्षकार के साथ अन्याय किया जा रहा है और न ही आवेदक को भी अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी खेतडी से कोई न्याय मिलने की कोई आशा है। ऐसी सूरत मे प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि श्रीमान्जी उक्त प्रकरण को जिले के किसी भी निष्पक्ष उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित है जिससे आवेदक के साथ न्याय हो सके। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को नियमानुसार सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी से अन्य किसी राजस्व न्यायालय मे हस्तान्तरित किये जाने का आदेश [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.23 16:14:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी खेतडी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये [illegible] अधिकारी खेतडी ने पत्रांक 1645 दिनांक 02.09.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दुवार अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 1 राजस्व रिकार्ड से संबंधित अंकित तथ्य स्वीकार है। शेषांश अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

खण्ड सं0 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 3 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 4 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 5 अस्वीकार है। प्रकरण मे विधि के प्रावधानुसार प्रकिया अपनाई जा रही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 6 अस्वीकार है। उक्त बिन्दू मे तथाकथित बातें मनगढन्त, बनावटी, निराधार व सत्यता से परे है। पीठासीन अधिकारी द्वारा संविधान की मर्यादा मे रहते हुए प्रकरण मे न्यायिक प्रकिया के तहत ही न्यायिक कार्यवाहियां संपादित की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 25.10.2021 को दावा रजिस्टर किया गया था तथा तामिल तलबी हेतु दिनांक 03.01.2022 पेशी नियत की गई थी तथा उसके बाद दिनांक 25.04.2022 को न्यायालय मे कार्य नही हुआ तथा दिनांक 25.04.2022 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 2 नियम 2 सी0पी0सी0 का पेश किया गया तथा प्रतिवादी नं0 3 की तलबी हेतु पेशी दिनांक 27.05.2022 नियत की गई। दिनांक 22.08.2022 को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी खेतडी तथा आवेदक व उसके अधिवक्ता को अवगत कराया कि उक्त वाद विड्रो कर लो वरना मजबूरन मुझे खारीज करना पडेगा तब आवेदक ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि साहब मामले का अन्तिम निस्तारण पक्षकारान् की साक्ष्य लेखबद्व करके निर्णय पारित करे परन्तु उपखण्ड अधिकारी खेतडी द्वारा कहा गया कि मुझ पर स्थानीय विधायक का जबाव है तथा मुझे मजबूरन उक्त प्रकरण मे शीघ्र सुनवाई कर खारीज करना पडेगा। पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर ही दिनांक 25.04.2022 को विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से बिना हस्ताक्षर पक्षकार के प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 2 नियम 2 सीपीसी का पेश हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर उपखण्ड अधिकारी खेतडी दावे का निस्तारण करने पर आमादा है तथा पत्रावली मे दिनांक 10.08.2022 के बाद जबाब हेतु 22.08.2022 पेशी नियत की है तथा उसके बाद सुनवाई हेतु दिनांक 25.08.2022 नियत की है। विपक्षी नं0 1 की ओर से आवेदक को न्यायालय परिसर खेतडी मे दिनांक 22.08.2022 को धमकी दी गई कि दिनांक 25.08.2022 को तुम्हारा दावा खारीज करवा देगें। उपखण्ड अधिकारी खेतडी से हमने बात कर रखी है तब प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से मिलकर अर्जेन्ट मे उक्त वाद एवं आदेशिका की प्रतिलिपि दिनांक 23.08.2022 को प्राप्त की। इसके बाद शीघ्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। विधि का सिद्वान्त है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए जिसमे एहसास हो कि पक्षकार के साथ न्याय किया जा रहा है। लेकिन अदालत मातहत विपक्षी नं0 4 स्थानीय विधायक के नाजायज दबाव मे होने के कारण आवेदक के साथ न्याय नही कर रहा है तथा विपक्षी नं0 4 के कन्डेन्ट के आधार पर यह प्रतीत हो रहा है कि पक्षकार के साथ न्याय नही हो रहा है। बल्कि बिना सुने ही पक्षकार के साथ अन्याय किया जा रहा है और न ही आवेदक को भी अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी खेतडी से कोई न्याय मिलने की कोई आशा है। ऐसी सूरत मे प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि श्रीमान्जी उक्त प्रकरण को जिले के किसी भी निष्पक्ष उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना [illegible] साथ न्याय हो सके। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक द्वारा प्रस्[illegible] को नियमानुसार सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी से अन्य किसी [illegible] जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.23 15:14:19 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने वकील प्रार्थी के [illegible]नों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण से संबंधित एक वाद अन्य न्यायालय मे लम्बित है जिसमे तलबी की कार्यवाही शुरू हुई है।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे मुकदमा स्थानान्तरण को लेकर युक्तियुक्त व ठोस कारण नही बताये है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 3 व 4 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय एस0डी0एम0 खेतडी द्वारा किसी प्रकार कोई भेदभाव व पक्षपात नही किया गया। एस0डी0एम0 खेतडी का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाव नही है। एस0डी0एम0 खेतडी प्रकरण मे निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। प्रार्थना पत्र कतई बेबुनियाद, आधारहीन होने से स्वीकार नही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य कतई गलत दर्ज किये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, खेतडी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी मे विचाराधीन मुकदमा उनवानी कृष्ण कुमार बनाम संतरा देवी वगैरह मुकदमा नम्बर 191/2021 दावा अधिकार घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.23 15:14:19 IST
Reason: SelfAttested